भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 430
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

430. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्रीमती पूनम महाजन:
श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सितंबर, 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आरंभ की है ओर और यदि हां, तो पीएमएमएसवाई की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर अकोला, संगमनेर, कोपरगांव, रहाटा, श्रीरामपुर, नेवासा, राहुरी, कर्जत और जामखेड़ में पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत मत्स्यपालन की अनुमति देने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धारित किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वंचित महिलाओं की सहायता के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित किया है
(च) और यदि हां, तो इस धनराशि में से मत्स्यपालन में संलग्न अथवा मात्स्यिकी समुदायों से संबन्धित महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि खर्च की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): भारत सरकार ने मई, 2020 में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए, मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के अब तक के सर्वाधिक निवेश वाली प्रमुख योजना: प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी ।

(ख): पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत दो वर्षों अर्थात 2020-21 और 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों सहित स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग): महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट किया है कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत राज्य सरकार ने अहमदनगर जिले में कुल 82 लाभार्थियों को मंजूरी दी है और तालुका -वार विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक	**तालुका**	**पिछले दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या**
1	अकोला	12
2	संगमनेर	2
3	श्रीरामपुर	2
4	नेवासा	4
5	राहुरी	12
6	कर्जत	23
7	जामखेड़	27
	कुल	**82**

(घ): पीएमएमएसवाई का अन्य लक्ष्यों के साथ, मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात आय में वृद्धि करना है। 2020-21 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे उच्चतम स्तर पर 147.25 लाख टन दर्ज किया गया है और 2021-22 के दौरान मात्स्यिकी निर्यात 13.69 लाख मीट्रिक टन रहा है और इसका मूल्य 57,587 करोड़ रुपये (यूएसडी 7.76 बिलियन) है।

(ङ) और (च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएमएमएसवाई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करके समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 2020-21 से 2021-22 के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 34698 महिला लाभार्थियों के लिए 439.42 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 1120.22 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ।

*****

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में 19 जुलाई, 2022 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के संबंध में विवरण – पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और केंद्रीय निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

		कुल परियोजना लागत		कुल केंद्रीय हिस्सा		जारी की गई कुल निधि		उपयोग की गई राशि	
क्रमांक सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**
1	अंडमान और निकोबार	1065.25	1940.3	474.8	988.68	200.00	509.3	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	27560	49876.77	7956.6	16514.28	5554.12	13105.85	3656.70	1561.55
3	अरुणाचल प्रदेश	1864.2	2752.5	1006.67	1486.35	790.61	493.94	503.33	0.00
4	असम	11021.9	9384.2	5113.57	4737.85	2676.56	5140.06	2300.00	0.00
5	बिहार	18333	9128.8	5864.23	2817.42	2932.12	1308.15	1422.67	0.00
6	छत्तीसगढ	12981	8926	3755.04	2788.14	3606.74	3296.56	3606.74	0.00
7	डी एंड डी और दादरा और एनएच	631.2	14.4	357.8	14.4	178.9	7.2	0.00	0.00
8	दिल्ली	386.25	147.00	210.08	76	144.3	19	63.59	0.00
9	गोवा	4146.5	4411.69	1193.49	2530.46	596.74	1645.85	73.21	0.00
10	गुजरात	6375	38914.19	1787.4	11765.2	893.7	5729.85	13.77	0.00
1 1	हरियाणा	6306.5	9692.5	1807.56	3065.61	953.94	1620.03	799.71	585.13
12	हिमाचल प्रदेश	4223.1	2727.47	1963.34	1342.31	1467.28	345.15	647.99	0.00
13	जम्मू और कश्मीर	2659.62	2738.37	1365.56	1364.2	4207.2	1493.225	3828.14	0.00
14	झारखंड	10451.5	12098.4	3237	4077.37	1618.46	1507.15	301.08	0.00
15	कर्नाटक	16423.94	23095.59	5033.26	7136.14	6235.3	9927.68	4948.48	3650.00
16	केरल	11367.3	18337.12	4232.88	6272.08	800	7810.95	800.00	0.00
17	लद्दाख	125	619.6	75	381.6	37.5	120.3	37.5	0.00
18	लक्षद्वीप	3880.48	627.1	2688.23	409.6	1344.12	98.8	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	14854.37	17518.57	4547.16	5424	2379.16	5587.64	2301.04	4803.03
20	महाराष्ट्र	17483.8	33629.6	6063.06	13064.5	3657.42	4042.99	1527.17	358.18
21	मणिपुर	2633	1196.5	1407.69	571.23	1097.97	846.66	1097.97	0.00
22	मेघालय	2145.01	1429.2	1158.31	835.36	790.65	820.99	662.57	0.00
23	मिजोरम	3381.14	3023.86	1973.54	1630.99	986.77	1567.01	828.55	0.00
24	नागालैंड	2655.8	2194.9	1614.13	1199.46	807.07	1355.67	807.07	0.00
25	उड़ीसा	21625	30816.1	6884.1	11818.45	3995.82	7914.47	3774.61	0.00
26	पुदुचेरी	3485.32	1402.715	1981.71	928.61	990.5	1349.45	684.43	0.00
27	पंजाब	4582	4333.7	1135.68	1092.23	567.84	0.00	0.00	0.00
28	राजस्थान	1289	1675.835	403.14	566.705	210.82	175.65	9.25	0.00
29	सिक्किम	1160	1665.31	626	916.49	313.2	242.01	0.00	0.00
30	तमिलनाडु	6988.75	29146.83	2734.16	9888.1	1938.61	3036.35	0.00	0.00
31	तेलंगाना	5405.17	9315.43	1558.68	2592.5	779.34	4433.73	779.34	1238.75
32	त्रिपुरा	2986.07	4285.93	1473.96	2129.93	737.01	1964.9958	562.43	0.00
33	उत्तर प्रदेश	39899	19514.2	12015.85	7036.07	7009.62	7746.135	5218.54	269.44
34	उत्तराखंड	4310.6	7112	1825.22	4085.8	912.61	1937.45	911.54	0.00
35	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल		**274685.77**	**363692.68**	**95524.9**	**131548.12**	**61412.00**	**97200.25**	**41567.42**	**12466.08**

*****